



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-I

दिनांक: 27.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला- पुणे,  
जिला कलेक्टर कार्यालय,  
सासून अस्पताल के सामने,  
स्टेशन रोड, पुणे-411001  
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त,  
पुणे शहर,  
कमिश्नर ऑफिस बिल्डिंग,  
साधु वासवानी चौक के पास, चर्च पथ, कैप,  
पुणे - 411001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: cp.pune@mahapolice.gov.in

विषय: अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में दस्तावेज संख्या 1271-2004 की रद्दीकरण एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में श्री गणेश मधुकर पवार, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 30.06.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.04.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 15.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री गणेश मधुकर पवार,  
क्रम संख्या 20-1-8, गौरी हाइट्स,  
प्लॉट नंबर-101, अमृतवेल पार्क, केशवनगर, मुंधवा,  
पुणे-411036, महाराष्ट्र  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में  
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-2803/MH/25/2025-RU-1

दिनांक: 23.04.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला- पुणे,  
जिला कलेक्टर कार्यालय,  
सासून अस्पताल के सामने,  
स्टेशन रोड, पुणे-411001  
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त,  
पुणे शहर,  
कमिश्नर ऑफिस बिल्डिंग,  
साधु वासवानी चौक के पास, चर्च पथ, कैप,  
पुणे - 411001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: cp.pune@mahapolice.gov.in

विषय: अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में दस्तावेज संख्या 1271-2004 की रद्दीकरण एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में श्री गणेश मधुकर पवार, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 30.06.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 16.03.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री गणेश मधुकर पवार,  
क्रम संख्या 20-1-8, गौरी हाइट्स,  
फ्लैट नंबर-101, अमृतवेल पार्क, केशवनगर, मुंधवा,  
पुणे-411036, महाराष्ट्र